मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2019

क्रमांक एफ 3–6/2015/10–1 :: वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2015 में श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, वनक्षेत्रपाल (विचारण क्षेत्र की सूची का सरल क्रमांक–97 पदक्रम सूची वर्ष 2014 में वरीयता क्रमांक 126) के नाम पर विचार किया गया था, तत्समय श्री गुप्ता के विरूद्ध मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के पत्र दिनांक 02.02.2015 से आरोप पत्र जारी होने एवं वन मण्डल अधिकारी, औबेदुल्लागंज के पत्र दिनांक 12.01.2015 से स्पष्टीकरण जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री गुप्ता के प्रकरण में अपनी अनुशंसा सील बंद लिफाफे में रखी थी।

2/ श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, वनक्षेत्रपाल के विरूद्ध मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के पत्र दिनांक 02.02.2015 से जारी आरोप पत्र पर प्रचलित विभागीय जांच मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के आदेश दिनांक 05.04.2018 से समाप्त कर दोषमुक्त किये जाने एवं वनमण्डल अधिकारी औबेदुल्लागंज के पत्र दिनांक 12.01.2015 से जारी स्पष्टीकरण मुख्य वन संरक्षक भोपाल के आदेश दिनांक 06.06.2018 से नस्तीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष ने श्री गुप्ता के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की बंद लिफाफे की अनुशंसा खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पदोन्नति प्रकरण में आरक्षण के बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन के कारण श्री गुप्ता का बंद लिफाफा खोलने की कार्यवाही लंबित रखी गई थी।

3/ इस दौरान श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक 25229/2018 दायर की जिसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक 45/2017 एवं याचिका क्रमांक 18180/2018 में पारित निर्णय के अनुरूप इनके प्रकरण में बंद लिफाफा खोलने, सभी लाभों सहित पदोन्नति देने का अनुरोध किया है। श्री गुप्ता की याचिका क्रमांक 25229/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :–

Learned Counsel for the petitioner submits that for the present grievance of the petitioner, he has preferred a representations Annexure P-6 and P-7 which is pending for consideration before the respondent no. 3. The said authority may be directed to decide this reprcsentation within the reasonable time.

Accordingly, the petition is disposed of by directing the petitioner to resubmit the said representation along with the copy of this order before the respondent no. 3. In turn, the said respondent shall consider and decide it in accordance with law by passing a reasoned order within 45 days. The outcome shall be communicated to the petitioner.

4/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, वन क्षेत्रपाल ने अपना दिनांक रहित अभ्यावेदन (Annexure P-6 and P-7 सहित) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बंद लिफाफा खोले जाने एवं

समस्त लाभों सहित पदोन्नति देने का निवेदन किया है। अभ्यावेदन में श्री गुप्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रेषित याचिका की प्रति एवं उसमें पारित निर्णय की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक 18180/2017 में पारित निर्णय की प्रति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 की प्रति जो राजस्व विभाग के तहसीलदार श्री कुशल सिंह गौतम के माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पदोन्नति प्रकरण से संबंधित है, भी संलग्न किया है।

5/ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 में उल्लेखित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में रिट पिटिशन क्रमांक 45/2017 में दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :–

In the present case the petitioner was considered by the DPC and based upon the recommendation of the same DPC, as many as 38 Tehsildars have been posted as Dy. Collector. The order of status quo will not come in the way of the petitioner as in the case of the petitioner the issue of reservation is not involved at all. It is a case of opening of the sealed cover and, therefore, in the considered opinion of this Court the writ petition deserves to be allowed and is accordingly allowed.

The respondents are directed to open the recommendation of the DPC, within a period of 30 days from today. The writ petition stands allowed with the following directions :-

a. The respondents shall open the sealed cover within a period of 30 days from today and shall also pass an appropriate consequential order based upon the recommendation within the aforesaid period.
b. The writ petitioner shall also be entitled for backwages, seniority and all other consequential benefits by treating him at par with his juniors, in case he is found fit by DPC for promotion.
c. Exercise fo granting consequential benefits, in case promotion order is issued in respect of the petitioner, be concluded within a period of 90 days from the date of receipt of certified copy of this order.

6/ उक्त प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, जबलपुर के अभिमत के आधार पर शासन द्वारा रिट अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :–

The only contention of the appellants/State is that the Hon'ble Supreme Court of India in the case of State of M.P. and others V/s. R.B. Rai and others has granted an order of status quo,the question of opening the sealed cover does not arise. Considering the aforesaid, we are of the view that learned Writ Court has not committed any legal error in passing the orer to open the sealed cover and passed an appropriate order. No case to interfere in the impugned order is made out. This appeal has on merit and is accordingly dismissed in limine.

7/ उपरोक्त रिट अपील खारिज होने के बाद प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, जबलपुर के अभिमत के आधार पर शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका

दायर की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.05.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है:–

Delay condoned. We find no reason to entertain this special leave petition, which is, accordingly, dismissed.

उक्त माननीय न्यायालयों के निर्णय के अनुपालन में श्री कुशल सिंह गौतम, तहसीलदार के प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नत आदेश दिनांक 25.08.2018 जारी किया है।

8/ श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता वनक्षेत्रपाल द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 25229/2018 में दिनांक 29.10.2018 को पारित निर्णय के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर का अभिमत प्राप्त किया गया, जो महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर के पत्र दिनांक 10.01.2019 से प्राप्त हुआ है। अभिमत के कार्यकारी अंश निम्नानुसार हैं :–

The aforesaid case was disposed of by this Hon'ble Court on 29.10.2018 with a direction to the respondents that in case the petitioner submit a representation, the said representation (AnnexureP-6&7) will be considered and decided by the competent authority in accordance with law within a period of 45 days.

I have gone through the matter and order passed by this Hon'ble Court and of the considered opinion that the order passed by the Hon'ble High Court may be complied with as this is only a direction to decide the representation by the competent authority. No need to challenge same further.

9/ प्रकरण में समस्त अभिलेखों/न्यायालयीन निर्णयों/महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर के अभिमत के आलोक में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2015 में अनारक्षित वर्ग के श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, वन क्षेत्रपाल (वरीयता क्रमांक 126) के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसित बंद लिफाफा खोले जाने पर उन्हें पदोन्नति के योग्य पाया है।

10/ अतः विधि के समक्ष समानता के अवसर को ध्यान में रखते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, वनक्षेत्रपाल को उनसे कनिष्ठ श्री संतोष कुमार शुक्ला (वरीयता क्रमांक 128) के सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 08.02.2016 से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान पी.बी.–3,रूपये 15600–39100+5400 ग्रेड पे में कार्य नहीं वेतन नही के सिद्धांत के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हुये, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानापन्न रूप से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करता है। पदस्थापना के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

11/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति की प्रविष्टि नही की गई है, क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम, 2002 अस्तित्व में नहीं है।

12/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम–4 दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

13/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा भर्ती नियम, 1977 के अंतर्गत दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन होगी।

14/ उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रकरण में उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, इसे किसी भी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल,दिनांक 27 फरवरी, 2019

पृष्ठ क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वन वृत्त भोपाल।
5. वनमण्डलाधिकारी, औबेदुल्लागंज वन मंडल (सामान्य)।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
7. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
9. संबंधित अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, (प्रशासन-।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

APCCF (A-I)

प्र. मु. व. सं.
वन बल प्रमुख
27/2/19

SR. P.A. TO P.C.C.F. MADHYA PRADESH BHOPAL
No. 1223
Dt. 27/2

अ. प्र. मु.
29/2/19
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन-1)

2115 406
1-3-19